उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-09/2017-18

जुनू बेसरा

बनाम्

रतु सोरेन

–: आदेश :–

दिनांक 27/07/17

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता जुनू बेसरा, पे0–स्व0 फूरलाय बेसरा, सा0–बाघमारा, थाना–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–32/2016–17 आदेश दिनांक–06.04.2017 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–32/16–17 आदेश दिनांक–06.04.2017 के द्वारा अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बाघमारा जमाबंदी सं0–55 दाग नं0–1221 रकबा 00–12–00 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जुनू बेसरा वो फूदन बेसरा वो रूपाय बेसरा वो चतुर बेसरा, पेसरान–फूरलाय बेसरा के नाम से दर्ज है। गत जमाबंदी रैयत जुनू बेसरा को एक पुत्र फुरलाय बेसरा हुए एवं फुरलाय बेसरा का पुत्र अपीलकर्त्ता जुनू बेसरा है। जमाबंदी रैयत फूदन बेसरा की मृत्यु नावल्द हो गयी है एवं जमाबंदी रैयत रूपाय बेसरा अपने पिछे एक पुत्र विक्रम बेसरा को छोड़कर फौत कर गये। विक्रम बेसरा को एक पुत्र रूपाय बेसरा हुए जो नावल्द फौत कर गये। जमाबंदी रैयत चतुर बेसरा को एक पुत्र ठाकुर बेसरा हुए। ठाकुर बेसरा की भी मृत्यु नावल्द हो गयी। इस प्रकार अपीलकर्त्ता ही उक्त जमाबंदी की जमीन, जिसमें प्रश्नगत जमीन है, का हकदार है एवं पूर्वजों की मृत्यु के बाद उक्त जमाबंदी की जमीन कानूनी रूप से अपीलकर्त्ता के कब्जे में आ गया है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी वर्ष 2016 ई0 में उक्त जमीन पर अवैध रूप से प्लास्टिक की एक झोपड़ी का निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। जब अपीलकर्त्ता ने विरोध करने लगा तो उत्तरवादी गलत केश में फसाने का धमकी देने लगा। तब मजबूरन अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में उत्तरवादी को उक्त जमीन से उच्छेद

करने के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत आवेदन दाखिल किया है। उत्तरवादी न्यायालय में उपस्थित हुए और उन्होंने भूदानी पट्टा से उक्त जमीन प्राप्त करने का दावा किया गया एवं उत्तरवादी ने अपने दावा में जाली भूदान कागजात प्रस्तुत किया गया। क्योंकि उक्त भूदान कागजात पर भूदान यज्ञ समिति के सचिव का हस्ताक्षर नहीं था। फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने उस भूदान कागजात के आधार पर उत्तरवादी को उक्त जमीन से उच्छेद नहीं किया। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–बाघमारा नं0–26 जमाबंदी सं0–55 कुल रकवा 14–01–06 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जुनू बेसरा, फूदन बेसरा, रूपाय बेसरा एवं चतुर बेसरा के नाम से दर्ज है। गत सर्वे सेटलमेंट के बाद सभी जमाबंदी रैयत अलग–अलग हो गये और अपना–अपना वैध हिस्सा प्राप्त कर जोत आबाद करने लगे। जमाबंदी रैयत रूपाय बेसरा अपने पीछे एक पुत्र विक्रम बेसरा को छोड़कर फौत कर गये। विक्रम बेसरा धार्मिक प्रवृति के थे। उन्होंने उक्त जमाबंदी सं0–55 के अंदर अपने हिस्से से दाग नं0–1121 रकवा 00–12–00 धुर जमीन भूदान यज्ञ समिति देवघर को दिनांक–04.07.1965 ई0 को दान में दिया। भूदान यज्ञ समिति के द्वारा उत्तरवादी के पिता चुनाराम सोरेन उर्फ मंगल सोरेन पे0–रतु सोरेन को वासोवास हेतु प्राप्त हुआ। उत्तरवादी के पिता उस पर सपरिवार रहने लगे तथा कालान्तर में उस मिट्टी का मकान गिर जाने के कारण उत्तरवादी ने उस पर मकान बनाया एवं सपरिवार उसमें रहने लगे। उनका आगे कथन है कि काफी वर्ष बीत जाने के बाद अचानक अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त जमीन से उत्तरवादी को उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत आर0ई0आर0 केश नं0–32/16–17 दायर किया। दोनों पक्षों के सुनवाई के पश्चात् जाँचोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया है। उनका आगे कथन है कि वर्तमान तसदीक सर्वे में भी उक्त जमीन उत्तरवादी के पिता विक्रम सोरेन के नाम से दर्ज हो गया है एवं भूदानी दान पत्र के आधार पर उत्तरवादी उक्त भूमि पर दखलकार हैं। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के

पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–288/रा0 दिनांक–03.06.2019 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक–370/रा0 दिनांक–11.12.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–बाघमारा थाना नं0–26 के जमाबंदी नं0–55 के कुल रकवा 14–01–06 धुर जमीन रैयत जुनू बेसरा वो फुदन बेसरा वो रूपाय बेसरा वो चतुर बेसरा पेशरान फुरलाय बेसरा कौम संथाल साकिन देह लता टोला कहकर गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। मौजा जमाबंदी नं0–55 दाग नं0–1121 के अंदर रकवा 00–12–00 कट्ठा उत्तरवादी के पिता चुनाराम सोरेन उर्फ मंगल सोरेन ग्राम–रतियाचक, पो0–बनियाँडीह, अंचल–ठाकुरगंगटी, अनुमंडल–महागामा, जिला–गोड्डा को भूदान यज्ञ समिति से प्राप्त हुआ है। उक्त जमीन के दानकर्त्ता विक्रम बेसरा, पिता–रूपय बेसरा ग्राम–बाघमारा है। वादगत जमीन पर रतु सोरेन का परिवार विगत 35–36 वर्षों से मिट्टी का मकान बनाकर निवास कर रहें हैं तथा मिट्टी का मकान ध्वस्त हो जाने पर टाँट एवं तिरपाल के ढक कर इनका परिवार अब भी निवास कर रहें हैं। वर्तमान तसदीक सर्वे में भी उक्त प्रश्नगत जमीन उत्तरवादी के पिता चुनाराम सोरेन उर्फ मंगल सोरेन ग्राम–बाघमारा जाति संथाल निवासी निज डगरी टोला दर्ज पाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा आर0ई0आर0 केश नं0–32/16–17 में वादगत जमीन पर उत्तरवादी का दखल कब्जा एवं उक्त भूमि भूदान से प्राप्त हुआ है, को लेकर अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारिज किया गया है। साथ ही बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में दायर आपत्ति वाद सं0–1016/2017 में वादगस्त भूमि मकानमय सहन को लेकर विपक्षी को मकान से बेदखल करना अनुचित मानते हुए उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता द्वारा दायर आपत्ति वाद को खारिज किया जा चुका है। भूदान पट्टा क्र0 सं0–7701 दिनांक–04.07.1965 के सत्यापन के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक–29/रा0 दिनांक–16.01.2019 के द्वारा जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, देवघर से पत्राचार करते हुए सत्यापन प्रतिवेदन की माँग उनसे की गई थी। कार्यालय मंत्री जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, देवघर/गोड्डा, मुख्यालय द्वारा उपर्युक्त वर्णित भूदान पट्टा को अभिप्रमाणित करते हुए पत्रांक–16/18–95 दिनांक–28.01.2019 के द्वारा सत्यापन के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उभय पक्ष की ओर से दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बाघमारा नं0–26 जमाबंदी सं0–55 कुल रकवा 14–01–06 धुर जमीन जुनू बेसरा वो फुदन बेसरा वो रूपाय बेसरा वो चतुर बेसरा पेशरान फुरलाय बेसरा के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–1121 रकवा 00–12–00 धुर जमीन भूदान यज्ञ समिति द्वारा दिनांक–04.07.1965 को चुनाराम सोरेन उर्फ मंगल सोरेन, पे0–रतु सोरेन, सा0–बाघमारा, थाना–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि भूदान पट्टा से उत्तरवादी को भूमि प्राप्त है एवं उत्तरवादी उस जमीन पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। इस प्रकार उक्त जमीन उत्तरवादी को भूमि भूदान यज्ञ समिति से प्राप्त होने के कारण यह संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन का मामला प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–32/16–17 के आदेश दिनांक–06.04.2017 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

22/10/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

22/10/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:17:24 +05:30
Location: 192.168.29.8